कार्यालय कोरबा जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा, (छत्तीसगढ़)

क्रमॉक / MDFT-15/ 2017-18/ 5500 कोरबा, दिनांक 24/12/2017

// संशोधित निविदा की शर्ते //

कोरबा जिला में जिला खनिज संस्थान अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 215 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त होती है। प्राप्त राशि से विकास मूलक कार्य विभिन्न कार्य एजेन्सियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। प्राप्त राशि एवं व्यय के अंकेक्षण हेतु महालेखाकार छ०ग०रायपुर में कोरबा जिले के इन्पैलड चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रति वित्तीय वर्ष के मान से कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अन्तर्गत शर्तो के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

1- प्रस्ताव के लिए पात्रता :–

- शासकीय कार्यालयों के अंकेक्षण का न्युनतम पॉच वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है (दस्तावेज संलग्न करें)।
- विगत तीन वर्षो का औसतन अंकेक्षण कार्य 500 लाख से अधिक होना चाहिए (दस्तावेज संलग्न करें)।
- आयकर विभाग/जीएसटी/टीडीएस/सर्विस टैक्स एवं अन्य संबंधित विभाग में फर्म का पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए (दस्तावेज संलग्न करें)।
- पूर्व में संस्था के विरूद्ध किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। (Annexure-1) 50.00 रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में (दस्तावेज संलग्न करें)।

2- तकनीकी प्रस्ताव :–

- संस्था का वैधानिक पंजीयन का साक्ष्य (दस्तावेज संलग्न करें),
- संस्था का तीन साल का आईटी रिटर्न (दस्तावेज संलग्न करें),
- अनुभवों का विस्तृत विवरण वर्षवार (दस्तावेज संलग्न करें),

3- वित्तीय प्रस्ताव :–

- फर्म को जिला खनिज संस्थान न्यास कार्यालय एवं इससे आंबंटित कार्यो से संबंधित समस्त कार्य एजेंसी के कार्यालयों का आडिट करना होगा। इस आधार पर ही फर्म को अपनी दरे दिया जाना होगा। फर्म द्वारा प्राप्त दर न्यूनतम होने पर उसी दशा में ग्राहय होगा जब फर्म का अनुभव, वित्तीय सक्षमता एवं अन्य प्रावीणयता का मूल्यांकन जिला स्तरीय समिति द्वारा उत्कृष्ठ स्तर का पाया जाएगा। मात्र न्यूनतम दर फर्म के चयन का आधार नहीं होगा।

4- प्रस्ताव प्रस्तुत करने की विधि :–

निम्नांकित पते पर **दिनॉक 02 जनवरी 2018 दिन मंगलवार समय शाम 3.00 बजे** तक पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा, जिला–कोरबा (छत्तीसगढ़) कक्ष क्रमॉक - 03 में प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगें।

- तकनीकी प्रस्ताव और वित्तीय प्रस्ताव अलग–अलग बंद लिफाफे में प्राप्त किये जायेंगें। जिसके लिए लिफाफे के उपर निम्नानुसार लिखा जाना अनिवार्य होगा।
  (अ) '' कार्य योजना हेतु तकनीकी प्रस्ताव ''

(ब) " कार्य योजना हेतु वित्तीय प्रस्ताव "

- प्रस्ताव के साथ रूपये 5000.00 (शब्दों में रूपये पाँच हजार) मात्र की अमानत राशि देय होगी। जो कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के नाम से डी०डी०तैयार करवाकर तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर कार्ययोजना प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा।

5- मूल्यांकन प्रणाली :–

- पात्रता प्राप्त करने वाले प्रस्तावों को मूल्यांकन समिति के द्वारा 02 चरणों में निम्नानुसार मूल्यांकन किया जायेगा।
- **चरण 01 : अनुभव एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन :–**

क्रमांक	सूचकांक	अंक	अधिकतम अंक
1	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 05 वर्षो का अनुभव	5	15
2	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 10 वर्षो का अनुभव	10	
3	पंजीयन पत्र के अनुसार संस्था का 15 वर्षो का अनुभव	15	
4	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यादेश के तहत् फर्म का 05 वर्षो का अनुभव	5	15
5	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यादेश के तहत् फर्म का 10 वर्षो का अनुभव	10	
6	किसी भी विभाग या अन्य एजेंसी द्वारा जारी कार्यादेश के तहत् फर्म का 15 वर्षो का अनुभव	15	
8	पिछले तीन वर्षो का अंकेक्षित राशि 500 लाख तक	5	15
9	पिछले तीन वर्षो का अंकेक्षित राशि 750 लाख तक	10	
10	पिछले तीन वर्षो का अंकेक्षित राशि 1000 लाख तक	15	
	कुल अंक		**45**

- **चरण 02 : वित्तीय प्रस्ताव की समीक्षा :–**
  प्रथम मूल्यांकन में न्यूनतम 30 अंक प्राप्तकर्त्ता फर्म के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जावेगा। समान न्यूनतम दर दो या दो से अधिक प्राप्त होने पर चयन समिति के समक्ष लाटरी के माध्यम से फर्म का चयन किया जावेगा।
- प्रस्तुत की गई निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा को होगा तथा इसके विरूद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।
- कार्यादेश जारी करने के पूर्व संबंधित फर्म को उचित मूल्य के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा के साथ एक अनुबंध करना होगा।
- कोरबा जिला खनिज संस्थान न्यास का प्रथम अंकेक्षण 30 जनवरी 2018 के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा।

- अंकेक्षण कार्य हेतु आफिस, स्टेशनरी एवं कार्यालयीन कर्मी संबंधित फर्म का होगा। कार्यालय द्वारा समय–समय पर यदि अंकेक्षण संबंधी कोई भी निर्देश जारी किया जावेगा उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त वर्णित शर्तो के अनुरूप कार्य संतोषजनक न होने पर जारी स्वीकृति आदेश निरस्त किया जाकर जमा धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।
- निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि संबंधित फर्म द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तो का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी शर्ते मान्य है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

22/12

(श्रीकांत दुबे)
प्रभारी अधिकारी
जिला खनिज न्यास कोरबा (छ०ग०)

पृ०क्रमॉक/MDFT-15/2017-18/ 5501 कोरबा, दिनांक 24/12/2017

प्रतिलिपिः–

1- अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सह वेब सूचना प्रबंधक/नोडल अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (एनआईसी) जिला–कोरबा, (छत्तीसगढ़) को उक्त विज्ञापन को Korba gov.in में अपलोड कराने का कष्ट करेंगें।

22/12

प्रभारी अधिकारी
जिला खनिज न्यास कोरबा (छ०ग०)